रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 107] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 1975/फाल्गुन 28, 1896

No. 107] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 1975/PHALGUNA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 19th March 1975

S.O. 146(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 111(E), dated the 15th February, 1974, the management of the industrial undertaking known as Messrs. Britannia Engineering Works (Wagons Division), Mokamch, in the State of Bihar (thereafter in this Order referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of five years commencing from the 15th of February, 1974;

And whereas the Central Government is satisfied that it is necessary so to do in the interest of the general public with a view to preventing fall in the volume of production in a Scheduled Industry concerned, namely, Railway Rolling Stock;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments entered into, given or made, as the case may be, before the 15th February, 1974 and in force (to which the said industrial undertaking or the company ownina such undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company) immediately before the date of issue of this Order shall remain suspended and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended.

2. This Order shall remain in force for a period of one year from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 13(13)/74-HM-III]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1975

का० आ० 146(अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 3(ई) तारीख 15 फरवरी, 1974 द्वारा मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स (वैगन्ज डिवीजन) मोकामा, बिहार राज्य, (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च क के अधीन 15 फरवरी, 1974 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि सम्बद्ध अनुसूचित उद्योग, अर्थात् रेलवे रोलिंग स्टाक, के उत्पादन में कमी भी रोकने की दृष्टि से ऐसा करना जनसाधारण के हित में आवश्यक है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह घोषित करती है कि 15 फरवरी, 1974 से पूर्व यथास्थिति, किए गए या दिए गए और इस आदेश के निकाले जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थाओं, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसका कि उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी पक्षकार है अथवा जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू किए जा सकते हैं) प्रवर्तन लम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोदभूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व निम्बित रहेंगे।

2. यह आदेश, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

[सं० 13(13)/74-एच०एम० 3]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975